



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 629]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 884(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 के उप-नियम 3 के उप-नियम (2) के परंतुक में “सदस्य (वित्त)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “कार्यकारी सदस्य (वित्त)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 के उप-नियम 3 के उप-नियम (2) के परंतुक में “सदस्य (वित्त)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “कार्यकारी सदस्य (वित्त)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 12018/9/2000-बीए (पी)]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 863(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 और सं. सा.का.नि. 464(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2012

G.S.R. 884(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32, read with sub-sections (7) and (8) of Section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely :

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, in rule 3, in sub-rule (2), in the proviso, for the words and brackets “being Member (Finance)”, the words and brackets “being Executive Member, Member (Finance)” shall be substituted.

[F. No. 12018/9/2000-BA (P)]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 863(E), dated 10th November, 2000 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 126(E), dated 1st March, 2006 and number G.S.R. 464(E), dated 20th June, 2012.